राजस्थान सरकार
आयोजना विभाग, जयपुर

क्रमांकः एफ17(1)/1/भामाशाह/डीईएस/2015/ दिनांकः18.02.2015

जिला कलेक्टर,
समस्त राजस्थान।

विषयः– भामाशाह कार्ड वितरण शीघ्र करवाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

जैसा कि विदित है भामाशाह योजनान्तर्गत परिवार/व्यक्तिगत भामाशाह कार्ड वितरण के संबन्ध में परिपत्र–6 दिनांक 26.11.2014 तथा इस कार्यालय के पत्रांकः– एफ17(1)/1/भामाशाह/डीईएस/2014/ दिनांक – 10/12/2014 द्वारा विस्तृत निर्देश जारी किए जा चुके हैं। इसी कम में पुनः निर्देशित किया जाता है कि भविष्य में राज्य स्तर से अथवा प्रिन्टिंग एजेन्सी द्वारा प्रिन्टेड भामाशाह कार्ड सीधे ही जिला स्तर/ब्लॉक स्तर पर अधिकृत अधिकारी/कर्मचारी को सुपुर्द किये जाऐंगे। अतः इन कार्डों की अपने स्तर पर गहनता से जाँच करवाकर शीघ्रातिशीघ्र निवासियों को त्रुटि रहित भामाशाह कार्ड वितरित करवाने की कार्यवाही सम्पन्न करवाएं। यदि किसी कार्ड में किसी भी प्रकार की त्रुटि अथवा Damage हो तो उसे Reject करते हुए निदेशक, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग, जयपुर को लौटाया जाए। भामाशाह पोर्टल पर भी भामाशाह कार्डो की प्राप्ति एवं वितरण की Inventory का नियमित अद्यतन सुनिश्चित करवाया जाए।

चूंकि 15 दिसम्बर, 2014 से भामाशाह योजना प्लेटफार्म के माध्यम से प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण की प्रक्रिया चरणबद्ध रूप से प्रारम्भ हो चुकी है, अतः इस कार्य को प्राथमिकता से सम्पादित किया जाए।

भवदीय

(अखिल अरोरा)
शासन सचिव

क्रमांकः एफ17(1)/1/भामाशाह/डीईएस/2015/ दिनांकः18.02.2015

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित हैः

1. समस्त अतिरिक्त जिला कलक्टर्स....................................
2. उप/सहायक निदेशक, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग................................
3. ए.सी.पी.(उपनिदेशक), सूचना प्रौ. एवं संचार विभाग, जिला....................
4. समस्त उपखण्ड अधिकारी..
5. समस्त विकास अधिकारी, पंचायत समिति........................

(ओम प्रकाश बैरवा)
निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव
आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग